

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक: ई-18/एम/115/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-
आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित श्री ठाकराराम जाखड़, कनिष्ठ सहायक, जिला क्षय रोग अधिकारी, बाड़मेर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.06.2021 है तथा दिनांक 02.06.2023 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 03.06.2023 से रुपये 20800/- (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हे कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

—sel—
(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/115/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/12

दिनांक :- 23/1/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, बाड़मेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री ठाकराराम जाखड़, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

RajKaj Ref
5310357

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :19-01-2024 10:27:14